चक्रवात चेतावनी, आपदा प्रबधन एव संवैधानिक दायित्व

- **परिवर्तन दौर**

- ----- उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में परिवर्तन दौर से गुजर रहा है इतना तेजी से परिवर्तन गत 10 दशको   में नहीं हुआ है जितना तेजी से अब हो रहा है

- ---- पिछले दशकों के सफल शिक्षा सुधार,दूर संचार तकनीकी सुधार, के फलस्वरुप अधिकतर जनसंख्या सरकार के दायित्व से परिचित है

- ------सामान्य व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की आसान पहुंच, मोबाइल

- ------ संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (UNDP) के मुताबिक भारत सन 2030 में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा

संवैधानिक दायित्व

- -------- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है और   यह सरकार की सीधे जिम्मेदारी है कि यह अधिकार सुनिश्चित करें
- -------- संविधान के अनुच्छेद 21 (2) के तहत जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकार में निहित है
- ------- अनुच्छेद 21(4) के अनुसार किसी भी **आपदा से बचाव, पुनर्वास, सुरक्षा** सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है
- ------------ अतः सरकार का दायित्व है कि संसाधनों की मदद से, तकनीकी की मदद से नागरिकों का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करें

बड़े पैमाने पर चुनौती का सफलता से सामना करने के लिए पांच अवयव

- (i) समृद्ध अनुभव
- (ii) अद्यतन तकनीक का सही इस्तेमाल
- (iii) कार्यक्षेत्र की विशेष निपुणता
- (iv) वैज्ञानिकों, अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार का कुशल प्रबंधन
- (v) सरकार का सहयोग (कानूनी ढांचे में लाने के लिए)
- (vi) वित्तीय सहायता
- (VII) समय-समय पर प्रशिक्षण (Capacity Building)

कुशल प्रबंधन एवं समृद्ध अनुभव से अहम सफल उपलब्धियां

- अगर हम पिछले दशको में उपलब्धियां देखें तो हमने कई चुनौतियों का सामना किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो केवल अधिकारियों के कुशल प्रबंधन सहयोग, समृद्ध अनुभव से ही संभव हो पाया है
- **दुग्ध उत्पादन** आज से 30 वर्ष पूर्व भारत में दूध की कमी हुआ करती थी परंतु विश्व का अग्रणी उत्पादकों देश में से एक भारत देश बन चुका है।
- **डिजिटलीकरण** जिस प्रकार से आप आज अपने घर बैठे ही रेलवे की, हवाई जहाज की टिकट बुक करते हैं और अन्य आवश्यक सेवाओं की फीस घर बैठे ही अदा कर दिया करते हैं यह आज से 30 वर्ष पूर्व कल्पना करना भी संभव नहीं था
- **बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण**, अगर आप दिल्ली में देखें आज से 30 वर्ष पूर्व बिजली की जो व्यवस्था थी जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त था जब से पुनर्गठन हुआ है(2002 से) तब से अच्छे परिणाम सामने आए हैं आज बिजली 24 घंटा उपलब्ध है और बिजली की दरें भी में पूरे भारत में सबसे कम है
- **आर्थिक सुधार**- उदारीकरण, विमुद्रीकरण एवं इस कड़ी में अब शीघ्र ही सामान्य सेवा कर (GST) जीएसटी
- **चुनाव सुधार**- मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन सेशन के बाद भारत में ऐतिहासिक चुनाव सुधार हुए हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- पवनो की प्रवृत्ति है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना चक्रवात बनने के लिए अधिकतर समुद्री क्षेत्र, उचित तापमान एवं निम्न दाब होना आवश्यक है
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह एक प्रकार की हिंसक पवने चलती हैं अक्सर यह पाया गया है कि इसके तीन कारक होते हैं
- (i)अनुकूल समुंद्री तापमान,
- (ii)अधिक समुद्री क्षेत्रफल एवं उचित तापमान यह 26.5 डिग्री से गर्म
- (iii) उष्णकटिबंधीय जल के ऊपर विकसित होते हैं (iv) यह भी पाया गया है यह 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश पर आंधी के रूप में शुरू होता है

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- पृथ्वी के घूमने के कारण यह दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार घूमता है और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमता है
- इस तूफान की वायुमंडल में ऊंचाई करीब 10 किलोमीटर होती है एवं इसका **क्षैतिज** फैलाव 2000 किलोमीटर तक का हो सकता है
- एक शांत क्षेत्र केंद्र में बनता है जिसे तूफान की आंख कहा जाता है इसका व्यास 10 से 50 किलोमीटर होता है इसके चारों तरफ घने बादल की परत होती है जिसे हम आई वॉल या दीवार कहते हैं इसमें तेज हवाएं चलती हैं यह चक्रवात कई दिन तक चलता है जैसे-जैसे यह भू जमीन की तरफ बढ़ता है यह कमजोर पड़ जाता है

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- तेज हवाएँ कुछ घंटे चलती हैं और कभी कुछ दिनों तक चलती है जिससे जान माल की अत्याधिक हानि होती है, इमारतों एवं फ़सलों को काफी क्षति पहुंचती है
- मुसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाते हैं
- अधिकतर देखने में आया है की दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का मौसम अक्टूबर से मई तक और उत्तरी गोलार्ध में मई से अक्टूबर तक चलता है लेकिन कुछ चक्रवात मौसम के बहिर होते हैं।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऐसे मौसम की प्रणाली है जिसमें पवनों की गति 34 knots या 64 किलोमीटर एक घंटा से अधिक होती है

चक्रवात हुदहुद

बेहद गंभीर चक्रवात तूफान हुदहुद [एनबी 1] अक्टूबर 2014 के दौरान पूर्वी भारत एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसके कारण भारत में काफी नुकसान हुआ था ।

चक्रवात वर्धा

चक्रवात का पूर्व अनुमान

- मौसम विज्ञानी वर्तमान में आधुनिकतम तकनीक उचित मॉडल से जिसमें उपग्रह के प्रोडक्ट्स, आंकड़ों से मौसम रेडार और कंप्यूटरों के प्रयोग से चक्रवात का रास्ता और कहां उत्पन्न होंगे पता लगाते हैं।

- हालांकि चक्रवात अपना रास्ता बदल भी देते हैं मौसम विज्ञानी आजकल सबसे आधुनिकतम तकनीक(Numerical weather prediction) न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन से चक्रवात कहां उत्पन्न होता है इसका रास्ता तीव्रती और किस क्षेत्र पर प्रभावित करेगा का पता लगा सकते हैं

- आधिकारिक चेतावनी संबंधित देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करती है

भारत में चक्रवात

- भारत में तटवर्ती इलाकों में प्राकृतिक आपदा के रुप में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है चक्रवात
- भारत के तटवर्ती सीमा करीब 7500 किलोमीटर है
- मुख्य भूमि के साथ 5400 किलोमीटर, लक्षद्वीप में 132 किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1900 किलोमीटर
- इसमें पूरे विश्व के करीब 10% चक्रवात आते हैं
- 71 प्रतिशत क्षेत्र 10 राज्यों में आता है जिनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, पुड्डुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडीशा एवं पश्चिमी बंगाल आते हैं

भारत में चक्रवात

- अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह भी चक्रवात से ग्रस्त हैं।

- औसतन 1 वर्ष में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में 5 या 6 बनते हैं और तटीय सीमा को प्रभावित करते हैं
- 13 तटीय राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 84 तटीय जिलों को शामिल किया गया है जो चक्रवातों से प्रभावित हैं
- पश्चिम तट पर चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) और पूर्वी तट पर एक केंद्रशासित प्रदेश (पांडिचेरी) और एक राज्य (गुजरात) चक्रवात आपदाओं के लिए अधिक संवेदनशील हैं

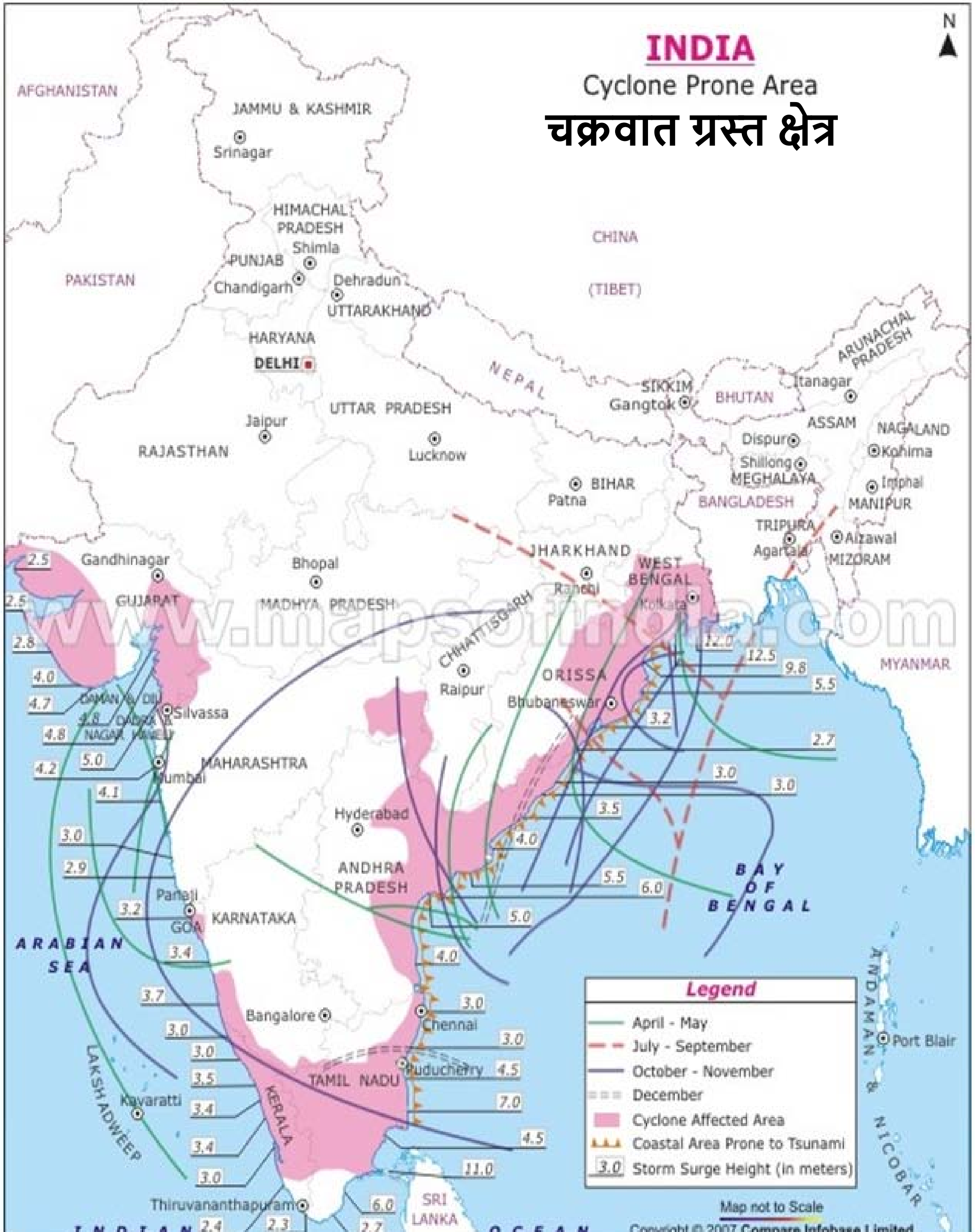
INDIA
Cyclone Prone Area
चक्रवात ग्रस्त क्षेत्र
N
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA
(TIBET)
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR
SRI LANKA
JAMMU & KASHMIR
Srinagar
HIMACHAL PRADESH
Shimla
PUNJAB
Chandigarh
Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
RAJASTHAN
Jaipur
UTTAR PRADESH
Lucknow
BIHAR
Patna
SIKKIM
Gangtok
ARUNACHAL PRADESH
Itanagar
ASSAM
Dispur
NAGALAND
Kohima
Shillong
MEGHALAYA
Imphal
MANIPUR
TRIPURA
Agartala
Aizawal
MIZORAM
JHARKHAND
Ranchi
WEST BENGAL
Kolkata
GUJARAT
Gandhinagar
MADHYA PRADESH
Bhopal
CHHATTISGARH
Raipur
ORISSA
Bhubaneswar
DAMAN & DIU
DADRA & NAGAR HAVELI
Silvassa
MAHARASHTRA
Mumbai
Hyderabad
ANDHRA PRADESH
Panaji
GOA
KARNATAKA
Bangalore
Chennai
Puducherry
TAMIL NADU
KERALA
Kavaratti
LAKSHADWEEP
Thiruvananthapuram
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
INDIAN OCEAN
ANDAMAN & NICOBAR
Port Blair
Legend
April - May
July - September
October - November
December
Cyclone Affected Area
Coastal Area Prone to Tsunami
3.0 Storm Surge Height (in meters)
Map not to Scale
Copyright © 2007 Compare Infobase Limited
www.mapsofindia.com

चक्रवात के प्रभाव

- ज़ब भी चक्रवात आता है तब तेज हवाओं से, मुसलाधार वर्षा से,बाढ़ का खतरा बना रहता है
- Storm Surges से निचले इलाके डूब जाते हैं
- बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन हो जाता है ।
- तट-बंध कमजोर हो जाते हैं
- 12 % केंद्रीय राजस्व का नुकसान होता है
- 2 % घरेलू सकल उत्पाद(GDP) के नुकसान होता है
- 1970 से 2012 तक कुल 19 लाख मौते हो चुकी है जो के जलवायु और मौसम संबंधी आपदाएं से संबंधित हैं
- बीमा क्लेम में अत्यधिक वृद्धि होती है जिससे बीमा कंपनियों का घाटा होता है

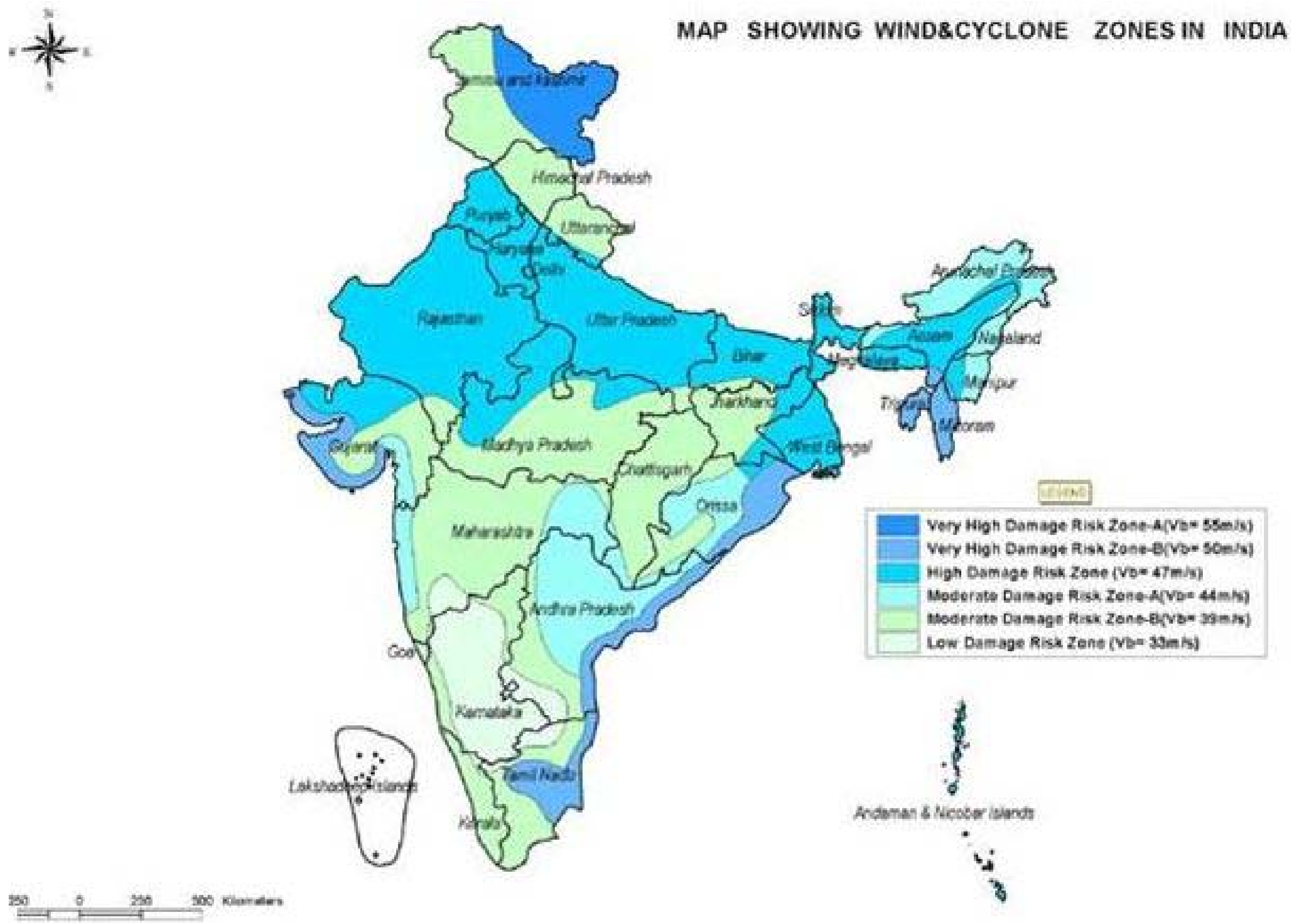
MAP SHOWING WIND&CYCLONE ZONES IN INDIA
Himachal Pradesh
Punjab
Uttaranchal
Delhi
Rajasthan
Uttar Pradesh
Bihar
Assam
Nagaland
Manipur
Mizoram
Jharkhand
West Bengal
Gujarat
Madhya Pradesh
Chattisgarh
Orissa
Maharashtra
Andhra Pradesh
Goa
Karnataka
Tamil Nadu
Kerala
Andaman & Nicobar Islands
Very High Damage Risk Zone-A(Vb= 55m/s)
Very High Damage Risk Zone-B(Vb= 50m/s)
High Damage Risk Zone (Vb= 47m/s)
Moderate Damage Risk Zone-A(Vb= 44m/s)
Moderate Damage Risk Zone-B(Vb= 39m/s)
Low Damage Risk Zone (Vb= 33m/s)
250 0 250 500 Kilometers

चक्रवात के लाभ

- यह सूखे की स्थिति से राहत देता है।

- उष्णकटिबंध अक्षांशों की ऊर्जा और अधिक तापमान दूसरे अक्षांशों की तरफ ले जाता है जिससे कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सामान तापमान बना रहता है I (Maintain equilibrium)

- पूरे विश्व में एक स्थिर तापमान बना रहता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र (Eco system) बरकरार रखने में मदद करता है।

- हर वैज्ञानिक के अपने मत हैं परंतु विश्व में अधिकतर वैज्ञानिकों का यही मत है कि यह पारिस्थितिक तंत्र को बरकरार रखता है अतः इसमें किसी भी प्रकार की कत्रिम छेड़छाड़ से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत में पिछले 20 साल में चक्रवात से हुई मौत

चक्रवात का नाम	वर्ष	प्रभावित राज्य/ क्षेत्र	कुल मृत्यु
चक्रवात	1996	आंध्र प्रदेश	आंकड़ा मौजूद नहीं है
सुपर चक्रवात (Super cyclone)	1999	केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	करीब 10000 मौतें हुई लाखों लोग विस्थापित हुए
सुनामी	2004	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके	11000 मौतें हुई करीब 6000 लापता लाखों मछुआरों की जीविका का साधन चला गया
चक्रवात निशा	2008	तमिलनाडु	204
चक्रवात थाने	2011	तमिलनाडु	47
चक्रवात नीलम	2012	तमिलनाडु	65
चक्रवात फैलिन	2013	ओडीशा एवं आंध्र प्रदेश	23
चक्रवात हुदहुद	2014	आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा	
चक्रवात वर्धा	2016	चेन्नई	21

चक्रवात फैलिन के दौरान पूर्णतया जलमग्न सड़क पर घागरा गांव का एक दृश्य

TOTAL

चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों में कुछ जरूरी दिशा निर्देश

- शीशे , लोहे की टीन जो फिक्स नहीं है उन्हें हटा दें कुछ ऐसे सामान जो उड़ने की संभावना अधिक होती है उसे हटा दें ।
- दवाइयों की विशेष व्यवस्था रखें, जिनको उक्त रक्तचाप है एवं कुछ जरूरी दवाएं उल्टी की, बुखार की दवा अवश्य साथ रखे ।
- ट्रांजिस्टर साथ रखें और उसके अतिरिक्त बैटरी भी पास रखे है।
- टॉर्च मोबाइल और अगर संभव हो तो मोबाइल का पावर चार्जर साथ रखें ।
- अगर संभव हो सके खराब ना होने वाला खाना पास रखे ,बिस्किट्स

<u>जब चक्रवात चेतावनी जारी हो चुकी हो</u>

- शीघ्र ही ऊंचे स्थान पर चले जाएं यहां ऐसा कोई स्थान पर चले जाएं जहां पर ऊंचा हो।
- खिड़की दरवाजे बंद कर ले।
- खाना और ऐसा और पीने का पानी अधिक से अधिक शेयर करके रखें।
- रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो के लगातार संपर्क में रहें।
- अगर चक्रवात का केंद्र आपके घर के ऊपर से गुजर रहा है तो हवाएं शांत हो जाएंगी आधे घंटे तक बारिश होगी **<u>उस स्थिति में घर से बाहर न जाएं</u>** क्योंकि उसके तुरंत बाद विपरीत दिशा में बहुत तेज हमारी चलेंगी

चक्रवात के बाद

- सर्वप्रथम टीकाकरण करवाएं क्योंकि चक्रवात के बाद खतरा ज्यादा होता है पानी से संबंधित बीमारियों का जिसमें हैजा, जॉन्डिस प्रमुख है।

- रास्ते में से मलबा हटा दें जिससे की गाड़ियों की आवाजाही आसानी से हो सके।

- अगर घर जलमग्न है तो वहां ना रहे किसी सुरक्षित शेल्टर में रहें।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

(World Meteorological Organisation)

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान की विशेष एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है
- भारत की सदस्यता एशिया क्षेत्रीय एसोसिएशन से है (Regional Association-II Asia) के नाते से है
- भारत मौसम विज्ञान विभाग, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थाई सदस्य होता है
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के समझौते के मुताबिक पर्यावरण से किसी भी प्रकार की कृत्रिम छेड़छाड़ वर्जित है केवल शमन के उपाय ही कर सकते हैं

आपदा जोखिम कटौती

(Disaster Risk Reduction)

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जलविज्ञान सेवा (NMHS) जिसमें 191 सदस्य राष्ट्र हैं
- मुख्य मिशन है आपदा जोखिम मैं कटौती
- जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे (Global Framework for Climate Services [GFCS] is High priority) की उच्च प्राथमिकता है आपदा जोखिम में कमी
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन का चक्रवात का उचित पर्यवेक्षण, पता लगाने, निगरानी, भविष्यवाणी, प्रारंभिक चेतावनी एक मुख्य लक्ष्य है

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करार (समझौता)

आपदा प्रबंधन की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कदम है

- आपदा खतरा शमन सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015 -- 30 यह जापान में 2015 में हुआ था
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में विकास लक्ष्य 2015 से 2030
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के तहत पेरिस समझौता
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था , अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल [Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), जो वर्तमान में पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, के मुताबिक आपदाओं की बारंबारता (frequency), तीव्रता, भौगोलिक स्थिति एवं अवधि बदलती रहेगी जैसे -जैसे अनुमानित जलवायु बदलती रहेगी।

भारत के आपदा प्रबंधन का वैधानिक ढांचा

(Legal framework)

- गौरतलब है कि भारत में विस्तृत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया जा चुका है जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 भी बनाई जा चुकी है

- इस उक्त नीति का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की दायित्व है क्योंकि ज़मीनी मामले, नीति का पालन राज्य सरकार के दायरे में आता है

भारत के संदर्भ में

- धारा 37(a) 377 विभागों/ मंत्रालयों राज्यों को बाध्य करता है कि वह आपदा शमन बचाव तैयारी के लिए योजना बनाएं।

- जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन भी हुआ है जिसकी 12 बटालियन है और हर बटालियन में 1149 कार्मिक है इसमें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इक्विपमेंट्स है और हर बटालियन में मेडिकल क्षेत्र का और इंजीनियरिंग क्षेत्र का एक एक्सपर्ट भी नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती

DEPLOYMENT

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

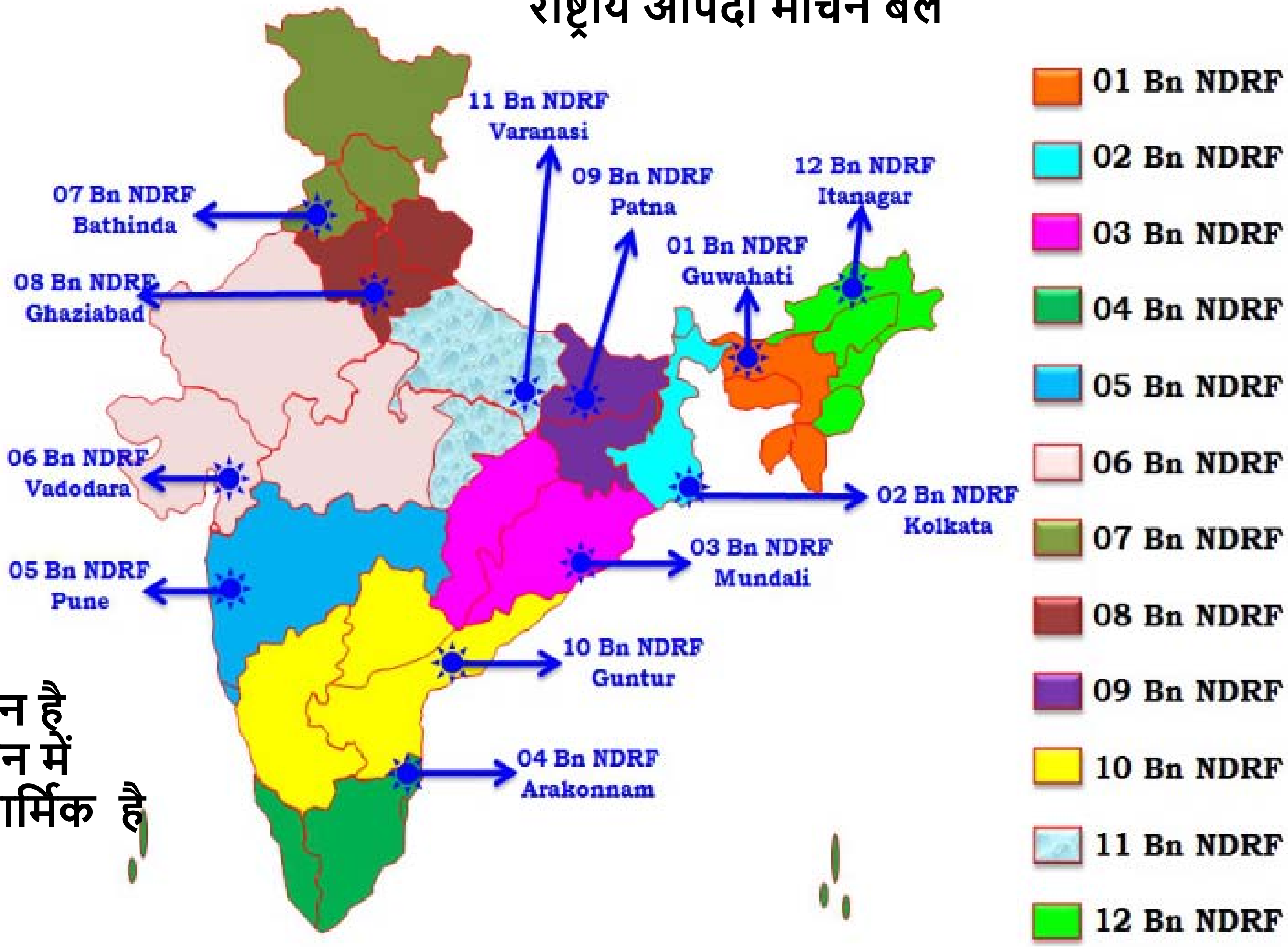

12 बटालियन है
हर बटालियन में
1149 का कार्मिक है

संवैधानिक तथ्य

- माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले विंसेंट परीकुर लांगरा बनाम भारत संघ मैं यह निर्णय लिया गया था जन स्वास्थ्य का सुधार एवं रखरखाव यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।

- भारत एक कल्याणकारी राज्य है (Welfare state) और यह सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है कि वह **आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा मुहैया करवाएं।**

आपदा प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक तथ्य

- जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक एवं संघीय संरचनात्मक से बना है इसमें आपदा प्रबंधन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का आता है क्योंकि ज़मीनी मामले राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

- आपदा प्रबंधन पर कानून भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 से संबंधित है जिसमें सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा से संबंधित विषय आते हैं और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकते हैं।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के राज्यों को निर्देश देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करें। जैसा कि भारत बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संधियों में पार्टी है जिस में आपदा प्रबंधन प्रमुख है।

- Doctrine of *Parens Patriae*. का सिद्धांत यह सिद्धांत कई बार न्यायालयों में लिया गया है जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत राहत पहुंचाएं।

दीर्घकालीन योजनाएं

- **समय-समय पर प्रशिक्षण -** मछुआरों के लिए जो गहरे एवं उथले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, जो लोग तटवर्ती इलाकों के समीप रहते हैं उनका विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- **निजी अस्पताल** निजी अस्पतालों जो तटवर्ती इलाके के समीप है उन को लाइसेंस देने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी एक शर्त सुनिश्चित की जानी चाहिए कि आपदा के समय वह मरीजों का संपूर्ण इलाज करेंगे।
- हालांकि सरकार उनकी सेवाओं एवं दवाइयों और खर्चे की भरपाई उचित दरों के हिसाब से करेगी।

दीर्घकालीन योजनाएं

- **निर्माण कंपनी** निर्माण कंपनी को व्यापार का लाइसेंस देने से पूर्व एक यह शर्त रखी जानी चाहिए कि आपदा के समय वह अपनी इक्विपमेंट्स मशीनें, JCB मशीन की सप्लाई लोगों के बचाव के लिए अवश्य करेंगे हालांकि उनके जो सेवाओं का पूरा भरपाई की जाएगी।
- निर्माण कंपनी से जुड़े व्यवसाय के ठेकेदार कार्ड डाटा बनाना चाहिए और आपदा के समय वह अपनी सेवाएं अपने पूरी टीम जिसमें मुख्य अभियंता से लेकर मजदूर तक सभी पुनर्वास के कार्य करेंगे।

भवन निर्माण उपविधि
(Building Bye-laws)

- बिल्डिंग बाइलॉज की समय-समय पर समीक्षा हो
- निश्चित समय पर इमारत का अवधी हो, इसमें कोई भी बदलाव नगर नियोजक की अनुमति से हो। और नगर नियोजक मंजूरी तब दे जब इमारत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करें उल्लंघन की दशा में आयुक्त के पास ध्वस्त करने की शक्ति हो आयुक्त ध्वस्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें उसे कहने का मौका भी दे और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को समय समय पर देता रहे

लाभ उन्मुख निर्माण का परिणाम
(Consequences of Profit oriented Construction)

विभिन्न एजेंसी जो सतर्क रहें

- अग्निशमन सेवाएं (राज्य सरकार के अधीन)
- बड़े अस्पताल, आपातकाल सेवाएं (राज्य सरकार के अधीन)
- स्थानीय पुलिस (राज्य सरकार के अधीन)
- ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरण कंपनी
- नगर निगम (राज्य सरकार के अधीन)
- दूरसंचार कंपनियां { यह सुनिश्चित करें कि चक्रवात एवं आपदा के समय सेवाएं बाधित नहीं होंगी]

राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड 2017 (NBC 2017)

- यह हर्ष की बात है मार्च 2017 में राष्ट्रीय भवन कोड 2017 सरकार ने जारी कर दिया है इस में भवन निर्माण हेतु अगले 16 वर्ष तक को ध्यान में रखा गया है

- उक्त प्रावधान राज्य सरकारों पर बाध्य नहीं है यह केवल इमारत के निर्माण के लिए आवश्यक मानक है परंतु इसके उल्लंघन की दशा में कोई केंद्र सरकार के द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है।

- अधिकतर विकास प्राधिकरण ने इसको स्वीकार कर लिया है और बहुमंजिली निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त रख दी है कि वह राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड 2017 के तहत ही निर्माण करें अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी

मास्टर प्लान

- हर कस्बा या जिला जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो उसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान लागू किया जाए **।चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का अलग से मास्टर प्लान हो** और उनके मानक सख्त किए जाएं ।हालांकि कई राज्यों ने इस में पहल भी की है आंध्र प्रदेश ,तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में मानक बनाए गए हैं
- **समीक्षा का प्रावधान** : हर 10 वर्ष पश्चात उक्त योजना की समीक्षा की जाए

इमारत ध्वस्त करने की निश्चित तारीख

- इमारत का मानचित्र स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए की इमारत को ध्वस्त करने की तारीख भी साथ ही मंजूर की जाए चाहे 100 वर्ष पश्चात हो या 75 वर्ष पश्चात हो परंतु तारीख जरूर तय की जाए।

- खरीदार को भवन खरीदने पूर्व इमारत की ध्वस्त करने की तारीख के बारे में अवगत कराना अनिवार्य हो

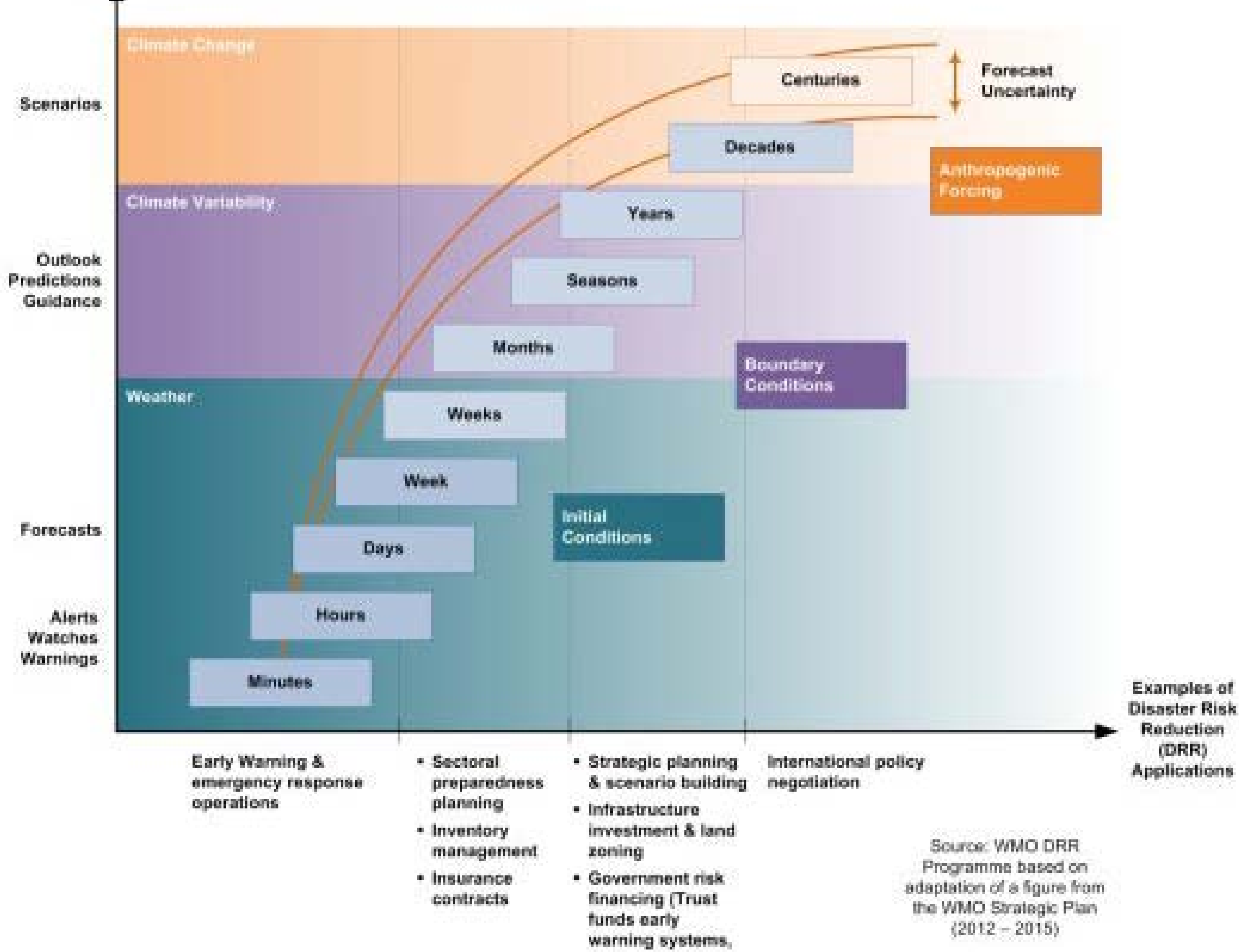
Climate Change
Climate Variability
Weather
Scenarios
Outlook
Predictions
Guidance
Forecasts
Alerts
Watches
Warnings
Centuries
Decades
Years
Seasons
Months
Weeks
Week
Days
Hours
Minutes
Forecast Uncertainty
Anthropogenic Forcing
Boundary Conditions
Initial Conditions
Examples of Disaster Risk Reduction (DRR) Applications
Early Warning & emergency response operations
• Sectoral preparedness planning
• Inventory management
• Insurance contracts
• Strategic planning & scenario building
• Infrastructure investment & land zoning
• Government risk financing (Trust funds early warning systems,
International policy negotiation
Source: WMO DRR Programme based on adaptation of a figure from the WMO Strategic Plan (2012 – 2015)

Image Tweeted By @RailMinIndia

धन्यवाद